

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2026—आषाढ़ 12, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 जून 2026

क्रमांक एफ 14-1/2009/आ.प्र./1-3.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 17(1) के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार एक स्थायी समिति का गठन करता है :—

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. श्री रामविचार नेताम, मान. मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, विभाग | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री पुनूलाल मोहले, सदस्य विधान सभा | — | सदस्य |
| 3. श्री सुनील कुमार सोनी, सदस्य विधान सभा | — | सदस्य |

4. श्री रामकुमार टोप्पो, सदस्य विधान सभा — सदस्य
 5. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य विधान सभा — सदस्य
 6. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य विधान सभा — सदस्य
 7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग — सदस्य
 8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग — सदस्य
2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 18 में उल्लिखित निम्नांकित कृत्यों का पालन करेगी :—
- (क) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन.
- (ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उपायों का सुझाव देना.
- (ग) ऐसे अन्य कृत्य जो राज्य सरकार समय-समय पर समिति को सौंपे.
3. अधिनियम की धारा-17(2) प्रावधानों के तहत स्थायी समिति की कालावधि 2 वर्ष विहित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अधीन गठित स्थायी समिति के माननीय सदस्यों के स्थायी एवं स्थानीय पते की सूची

क्र.	मान.अध्यक्ष/सदस्य का नाम	स्थायी पता	स्थानीय पता/दूरभाष
1.	श्री रामविचार नेताम, मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, विभाग	ग्राम—सनावल (मंदिरपारा) पोस्ट—सनावल जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज (छ.ग.) पिन—497220	एम—5, सेक्टर—24, नवा रायपुर अटल नगर
2.	श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य (अ.जा.)	ग्राम पोस्ट— दशरंगपुर, तहसीली— मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.)	सी—1, फॉरेस्टर कालोनी, राजातालाब, रायपुर (छ.ग.)
3.	श्री सुनील कुमार सोनी, सदस्य	एच.आई.जी. सी—80 शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)	एच.आई.जी. सी—80 शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)
4.	श्री रामकुमार टोप्पो, सदस्य (अ.ज.जा.)	ग्राम—कोटछाल पोस्ट— जामकानी थाना—सीतापुर तहसील— मैनापाट जिला सरगुजा (छ.ग.)	सी—1, अशोका पार्क, सी.एस.ई.बी. ऑफिस के सामने, कचना रोड खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर
5.	श्री ब्यास कश्यप, सदस्य	पुरानी बस्ती, वार्ड—4 गांधी चौक, मु.पो. नैला, जिला जांजगीर—चांपा (छ.ग.)	फ्लैट नं. 301, ब्लॉक—ए तृतीय तल पार्क रेसीडेंस तेलीबांध, रायपुर (छ. ग.)
6.	श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य (अ.ज.जा.)	बजरंग चौक वार्ड—13 गट्टासिल्ली, जिला धमतरी (छ.ग.)	सेडार हाऊस नं. 5 स्ट्रीट—4 हॉऊसिंग बोर्ड कालोनी बोरिया कला, शादाणी दरबार के पास, रायपुर (छ.ग.)

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 मार्च 2026

क्रमांक 1057/एफ-13/02/2026/13/2 Comp. No. 257336 File No. RULE/167/2026-O/O Deputy Secretary (Energy).— यतः, पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने हेतु अनेक प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियों को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है ;

और यतः, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (CREDA) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अभिकरण के रूप में निर्दिष्ट है) छत्तीसगढ़ शासन (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त सरकार के रूप में निर्दिष्ट है) के ऊर्जा विभाग (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त विभाग के रूप में निर्दिष्ट है) के प्रशासनिक दायरे में सौर सुजला योजना (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त योजना के रूप में निर्दिष्ट है) का संचालन कर रहा है;

और यतः, कृषक (जिनके पास 1 हेक्टेयर कृषि भूमि हो अथवा 1500 गैलन प्रतिघंटे की जलापूर्ति हो) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त लाभार्थी के रूप में निर्दिष्ट है) को उक्त योजनो और इसके संबंध में जारी निर्देशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत सहायिकी (सब्सिडी), (जो इसमें इसके पश्चात् लाभ के रूप में निर्दिष्ट है।) दी जाती है;

और यतः, उक्त योजना पर होने वाला व्यय, छत्तीसगढ़ राज्य की समेकित निधि से किया किया जाता है;

और यतः, उक्त अभिकरण इच्छुक है कि, सरकार उक्त लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से, उक्त लाभ प्राप्त करने की शर्त के रूप में यह अपेक्षा करें कि ऐसा लाभार्थी अधिप्रमाणन कराए या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करे अथवा ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे आधार संख्या आबंटित नहीं की गई है, नामांकन हेतु आवेदन करे;

अतएव, आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकों (सब्सिडी), प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, **छत्तीसगढ़ शासन, एतद् द्वारा, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-**

1. (1) उक्त योजना के तहत उक्त प्रसुविधाओं का उपयोग करने इच्छुक व्यक्ति को अधिप्रमाणन करवाना होगा, या आधार नंबर होने का सबूत देना होगा;
- (2) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसे आधार नंबर नहीं दिया गया है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा, कि ऐसे लाभार्थियों जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, उनका नामांकन किया जाए या वे उचित उपायों से अपने आधार संबंधी व्यौरों को अद्यतन करें, जिसमें जिसमें रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करना और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्र स्थापित करना या रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं नामांकन सुविधाएं प्रदान करवाना है;

परंतु जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार नंबर नहीं मिल जाता, तब तक वह उक्त लाभ उठाने के लिए अपनी पहचान साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज पेश कर सकता है, जिनके लिए वह हकदार है और जो पेश करने के समय वैध हैं या यदि उक्त क्रेडा द्वारा ऐसे पहचान के लिए प्रदान किया गया या अधिकृत सॉफ्टवेयर, ऐसे दस्तावेज की सामग्री को साबित करने वाली जानकारी को उन प्राधिकरण के डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने में सक्षम है, जो उन्हें तैयार करने या बनाए रखने का काम करती है, तो वह ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दे सकता है, अर्थात्:-

उन लाभार्थियों के लिये, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, जिन्हें आधार नंबर नहीं मिला है

(अ) नामांकन केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई, लाभार्थी के नामांकन प्रक्रिया से गुजरने की अभिस्वीकृति, जिसमें नामांकन ID (EID) हो, और

(ब) लाभार्थी की तस्वीर वाले नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

- (एक) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता फोटो पहचान पत्र;
- (दो) राशन कार्ड;
- (तीन) राज्य सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के पद से निम्न रैंक का राजस्व अधिकारी न हो, द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र;
- (चार) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया मेडिकल या बीमा पहचान पत्र;
- (पांच) भारतीय पासपोर्ट;
- (छः) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकसूची;
- (सात) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;
- (आठ) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र, या भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) पत्र;
- (नौ) भारत में जारी चालन अनुज्ञापत्र (डाइविंग लाइसेंस);
- (दस) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-

- (क) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक है, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड;
- (ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र;
- (ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
- (घ) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए, या

(ग्यारह) जिस लाभार्थी का कोई विधिक संरक्षक है, उसके संबंध में, गोद लेने का आदेश या विधिक संरक्षक होने का सबूत देने वाला कोई अन्य दस्तावेज, जो गार्डियंस एंड वाइर्स एक्ट, 1890 (1890 का 8) जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 (2016 का 2) नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999 (1999 का 44) या राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के तहत किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो; या

(बारह) कोई अन्य दस्तावेज, जैसा की उक्त ऊर्जा विभाग निर्दिष्ट कर सकता है।

- (4) इस संबंध में उक्त अभिकरण द्वारा नामित अधिकारी, खण्ड (3) के तहत पेश किए गए दस्तावेजों या उनकी सामग्री को साबित करने वाली जानकारी के संबंध में जाँच करेंगे,—

(अ) myAadhaar पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर EID जमा करके नामांकन निवेदन (रिक्वेस्ट) की प्रास्थिति की जाच करें ताकि इसकी पुष्टि हो सके कि EID वैध है और नामांकन निवेदन (रिक्वेस्ट) अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ब) दूसरे दस्तावेज, और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकारी संस्था या प्राधिकरण की मदद ले सकते हैं और उनके साथ जानकारी बाट सकते हैं, जो ऐसे दस्तावेजों में मौजूद जानकारी को तैयार करने या बनाए रखने का काम करती है।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभ आसानी से मिल सकें, इसके लिए मंत्रालय, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि लाभार्थियों को इस योजना के तहत आधार नंबर की आवश्यकता के संबंध में जानकारी हो सके।
3. जहाँ किसी लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणिकरण बायोमेट्रिक—आधारित प्रमाणिकरण के किसी भी तरीके (जैसे, चेहरे की इमेज, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन आधारित प्रमाणिकरण) से बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता जैसे किसी भी कारण से असफल हो जाता है, तो निम्नलिखित सुधार तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात:—

(अ) अगर बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणिकरण की कोई विशेष रीति सफल नहीं होती है, तो जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणिकरण का कोई दूसरा तरीका या वन-टाइम पिन (OTP) आधारित प्रमाणिकरण दिया जाएगा;

(ब) ऐसे मामलों में जहां बायोमेट्रिक-आधारित या OTP-आधारित प्रमाणिकरण संभव नहीं है, तो UIDAI के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का आधार सिक्वोर क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन करके आधार नंबर की वास्तविकता/यथार्थता स्थापित करने के बाद, बताई गई योजना के तहत लाभ इनमें से किसी भी आधार पर दिए जा सकते हैं।

(एक) आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात् आधार नंबर बनने पर आधार नंबर होल्डर को जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (यानी, UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकने वाली या उसके mAadhaar ऐप से एक्सेस की जा सकने वाली पासवर्ड-प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी) वाला एक आधार सिक्वोर क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड, जिसकी वास्तविकता/यथार्थता आधार QR स्कैनर या mAadhaar ऐप का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करके ऑफलाइन वेरिफिकेशन से की गई हो।

(दो) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-KYC डॉक्यूमेंट (UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकने वाला या उसके mAadhaar ऐप से एक्सेस किया जा सकने वाला), जिसकी वास्तविकता इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना लागू करने वाली अभिकरण (एजेंसी) द्वारा विकसित एप्लीकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर UIDAI के हस्ताक्षर प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के ऑफलाइन सत्यापन में की गई हो, UIDAI की वेबसाइट पर इस संबंध में दिये गए विवरण के अनुसार।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी को इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित न किया जाए, क्रेडा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम D-26011/04/2017-DBT, तारीख 19 दिसंबर, 2017 में बताए गए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म को फॉलो करेगा (जो <https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध है)।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

No. 1057/F-13/02/2026/13/2 Comp. No. 257336 File No. RULE/167/2026-O/O Deputy Secretary (Energy) .— Whereas, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity simplifies processes and promotes transparency and efficiency :

And whereas Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA) (hereinafter referred to as the said agency) under the administrative purview of the Energy Department (hereinafter referred to as the said Department) in the Government of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the said Government) is administering SAUR SUJLA SCHEME (hereinafter referred to as the said scheme):

And whereas subsidy (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the Farmers (having 01 hectare agricultural land or water source of 1500 gallon per hour water discharge) (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof:

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of State of Chhattisgarh:

And whereas the said CREDA is desirous that the Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Chhattisgarh hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
- (2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:
- (3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said CREDA shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said CRDA for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (A) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and
- (B) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—

- (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
- (ii) Ration card;
- (iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
- (iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
- (v) Indian passport;
- (vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
- (vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
- (viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;
- (ix) Driving licence issued in India;

- (x) In respect of a foreign national,—
 - (a) If he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (b) If he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (c) If he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (d) If he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
 - (xi) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (No. 8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (No. 44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
 - (xii) Any other document as the said Energy Department may specify:
- (4) An Officers designated by the said CREDA in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3).—
- (A) the status of the enrolment request by submitting the EID on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
 - (B) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.
2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(A) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(B) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:

(i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. In order to ensure that bonafide beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the CREDA shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).

5. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कोशले, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 12 जून 2026

क्रमांक/202604310100001/अ-82/2025-2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर प.ह.नं. 08	0.142	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़	कलमा बैराज के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 30 मार्च 2026

रा.प्र.क्रमांक/05/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	बबौली प.ह.नं. 3	0.710	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर	कुदरीटोला व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 30 मार्च 2026

रा.प्र.क्रमांक/06/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	कोरन्धा प.ह.नं. 32	2.844	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर	कोरन्धा व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 22 मई 2026

प्र. क्रमांक 4082/202605111000112/अ-82 वर्ष 2025-26.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरतालाब, प.ह.नं. 53
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-242.00 वर्गमीटर

खसरा नम्बर
(1)

रकबा
(वर्गमीटर में)
(2)

32/21	81.00
(शामिल 33/8, 34/8)	
32/8	161.00
(शामिल 33/8, 34/8)	
योग	242.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण—टाटीबंध हीरापुर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22 जून 2026

क्रमांक 3090/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2026.—यह कि म.प्र. राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक 1481-1473-88 दिनांक 09-03-1988 (छ.ग.) राज्य द्वारा अनुपालन आदेश 2001 के तहत छ.ग. राज्य में प्रवृत्त किया गया है) अर्थात् छ.ग. राज्य को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का सं-14) की धारा 19 की उपधारा (1) के तहत छ.ग. राज्य में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है।

यह कि छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 की अधिनियम संख्या 14) की धारा 4 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत किया गया है तथा मंडल को अधिसूचित प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में अधिनियम में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क, (धारा 17 (h) एवं धारा 17(j)) के साथ पठित) एवं जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क (धारा 17 (n) एवं धारा 17(o)) पठित) के तहत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया पर रोक लगाने एवं नियमन के निर्देश जारी करने की शक्ति है बोर्ड को ऐसे किसी भी उद्योग के स्थल के बारे में राज्य सरकार को सलाह देने के हेतु अधिकृत है जहां से प्रदूषण फैलने की संभावना हो तथा अधिनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य उपाय भी कर सकता है।

यह कि छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के कार्यालय आदेश क्रमांक 6572 दिनांक 11.09.2025 (संघोधित कार्यालय आदेश क्रमांक 2929 दिनांक 16.06.2026) द्वारा उद्योगों को स्थापित करने के मानदंड (न्यूनतम दूरी) प्रावधानित किये गये हैं। उक्त प्रावधान का पालन वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत किसी भी उद्योग को स्थापित और संचालित करने हेतु अनिवार्य है।

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 (क) के साथ पठित (धारा 17 (h) एवं धारा 17(j)) तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 (क) के साथ पठित (धारा 17 (n) एवं धारा 17(o)) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्थल चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड अधिसूचित करता है:—

स्थल चयन मापदंड

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत उद्योग स्थापित करने हेतु निम्नानुसार न्यूनतम दूरी बनाए रखी जानी आवश्यक है।

क- राजस्व रिकार्ड के अनुसार सतहों पर मौजूद पानी के स्रोत (जैसे बाढ़ का मैदान/ एच एफ एल/रेड लाइन के करीबी सीमा से)

1. लाल श्रेणी के उद्योग - 500 मीटर दूर
2. आरंज श्रेणी के उद्योग
 - दूषित जल उत्पन्न करने वाले उद्योग -75 मीटर की दूर
 - दूषित जल उत्पन्न नहीं करने वाले उद्योग -30 मीटर की दूर
3. हरे श्रेणी के उद्योग - 30 मीटर दूर

ख— रहवासी क्षेत्र, शिक्षण संस्थान, पूजा स्थल, पुरातात्विक स्मारक, आरक्षित वन एवं हेरीटेज साईट

1. लाल श्रेणी के उद्योग – 500 मीटर दूर
2. आरंज श्रेणी के उद्योग – 200 मीटर दूर
3. हरे श्रेणी के उद्योग – 100 मीटर दूर

ग— संरक्षित वन के अधिसूचित सीमा से

1. लाल श्रेणी के उद्योग – 100 मीटर दूर
2. आरंज श्रेणी के उद्योग – 100 मीटर दूर
3. हरे श्रेणी के उद्योग – 100 मीटर दूर

No. 3090/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2026.—WHEREAS, the State Government of Madhya Pradesh vide this department's Notification No. 1481-1473-XXXII-88, dated 9th March, 1988 (adopted by the State of Chhattisgarh under Adaptation of Laws Order, 2001) has notified the entire State of Chhattisgarh (erstwhile Madhya Pradesh) as pollution control area under sub-section (1) of Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981);

WHEREAS, the Chhattisgarh Environment Conservation Board has been constituted under Section 4 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) and Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and has power to exercise jurisdiction in the notified pollution control area.

WHEREAS, in terms of Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 read with Section 17(h) and 17(j) and Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, read with Section 17(n) and 17(o), the Chhattisgarh Environment Conservation Board has power to issue directions regarding prohibition or regulation of any industry, operation or process and advise the state government with respect to the location of any industry, the carrying on of which, is likely to cause pollution and perform such other acts as it may think is necessary for the purpose of carrying into effect the purpose of the acts.

WHEREAS, Chhattisgarh Environment Conservation Board, vide office order no. 6572 dated 11.9.2025 (amended vide office order no. 2929 dated 16.06.2026), prescribed sitting criteria (or minimum distance) for industries that must be followed while establishing and operating any industry under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

NOW, THEREFORE, the Chhattisgarh Environment Conservation Board, in exercise of powers conferred under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 read with Section 17(h) and 17(j) and Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, read with Section 17(n) and 17(o), hereby notifies the following sitting criteria:

Siting Criteria

1. While establishing an industry under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the following minimum distance shall be maintained, namely:-

(A) From the nearest boundary of a surface water body (flood plain/HFL/Red line) as per revenue records:

1. Red category industries – beyond **500 meters**
2. Orange category industries –
 - With effluent generation – beyond **75 meters**
 - Without effluent generation – beyond **30 meters**
3. Green category industries – beyond **30 meters**

(B) From settlement, educational institute, place of worship, archaeological monument, reserved forest, or heritage site:

1. Red category industries – beyond 500 meters
2. Orange category industries – beyond 200 meters
3. Green category industries – beyond 100 meters

(C) From the notified boundary of Protected Forest:

1. Red category industries – beyond 100 meters
2. Orange category industries – beyond 100 meters
3. Green category industries – beyond 100 meters

राजू अगसिमनी
सदस्य सचिव

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 713/दो-3-25/2007.— श्री मंसूर अहमद, रजिस्ट्रार (आई एण्ड ई) उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-10-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 714/दो-3-14/2007.— श्री राकेश बिहारी घोरे, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जशपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-10-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 715/दो-2-9/2025.— श्री विवेक नेताम, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 716/दो-3-46/2007.—श्रीमती किरण चतुर्वेदी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 08-09-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्रमांक 717/दो-3-22/2010.—श्री पंकज शर्मा, न्यायाधीश, कामर्शियल कोर्ट (जिला स्तर), रायपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2025

क्रमांक 718/दो-2-30/2017.—श्री खिलावन राम रिगरी, रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2025

क्रमांक 719/दो-3-3/2011.—श्री रजनीश श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2025

क्रमांक 720/दो-3-23/2010.—श्री शैलेश कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुण्ठपुर) (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, बजट अधिकारी.